

09.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता -  
अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद  
अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा  
वादपत्र मे आवश्यक कार्यवाही नहीं कर रहे है। वादी  
व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा  
रहे। उपस्थित नहीं आए। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता  
को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के  
उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं  
आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के  
कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज  
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर  
वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

